समाज कल्याण सप्ताह का समापन

डूंगरपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की जयन्ति के अवसर पर मनाये जाने वाले सेवा सप्ताह का समापन तपस शैक्षिक पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित तपस बधिर माध्यमिक आवासीय विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ। समापन समारोह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर की ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पिंकी मीणा के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

नाम संशोधन

मेरा नाम मेरे पुत्र के विद्यालय में रीना दवे के नाम से गलत अंकित हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम राजेश्वरी श्रीमाली पत्नी श्री गिरीश कुमार दवे है। मेरा आधार कार्ड में भी नाम राजेश्वरी श्रीमाली ही अंकित है। अत: मेरे व मेरे पुत्र के दस्तावेजों में मुझे मेरे वास्तविक नाम राजेश्वरी श्रीमाली के नाम से ही जाना व पहचान जावें।

-राजेश्वरी श्रीमाली
निवासी कठार तहसील बडगांव जिला उदयपुर

अन्तिम तिथि बढ़ाई

उदयपुर, (कासं)। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 व 11 के लिए रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु लेटरल एन्ट्री टेस्ट- 2026 के माध्यम से प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F-12 ( ) Sales/Allot/2025-26/1134 **आम-सूचना** दिनांक : 8/10/2025

आवेदनकर्ता द्वारा अंकित भूखण्ड का वारिसान/हक त्याग/मुक्ति विलेख/परित्याग पत्र/वसियत नामा/मुख्तियार नाम से विक्रय के आधार पर नामान्तरण जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	योजना का नाम/ब्लॉक	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	विक्रेता का नाम
1	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 16 UDA/FY 25-26/ MUT/4540	325.00 Square Feet	SUB CITY CENTRE BLOCK-D	श्री रोहित सिंघटवाडिया पिता श्री प्रदिप सिंघटवाडिया	श्रीमती विमला सिंघटवाडिया का स्वर्गवास दिनांक 12.05.2021 को हो जाने से इनके द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.10.2013, संबंधित दस्तावेजात, शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरण जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान/हक त्याग /मुक्ति विलेख /परित्याग पत्र/वसियत नामा/मुख्तियार नाम से विक्रय के आधार पर नामान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण जारी किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(शैलेश खैरवा RAS), प्रभारी अधिकारी, बिक्री शाखा
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्र/नियमन रिकॉर्ड/2025/605 **आम सूचना** दिनांक:- 8/10/2025

निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम / पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1.	5 (MUT No. 5407)	1664.25	सविना खेड़ा खसरा नं. 1787	श्रीमती दाडमी पति श्री नारायण गमेती पुत्री श्री गणेश भील 1/7 हिस्सा, श्रीमती मीना पिता श्री गणेश भील 1/7 हिस्सा, श्री नरेन्द्र पिता श्री गणेश भील 1/7 हिस्सा, श्रीमती पुष्पा बाई पति श्री गणेश भील 2/7 हिस्सा, श्रीमती गीता पति श्री दौलत राम गमेती पुत्री श्री गणेश भील 1/7 हिस्सा, श्री नरेश पिता श्री गणेश भील 1/7 हिस्सा नि. तितरडी उदयुपर।	श्रीमती जसवन्ती गमेती पति श्री लक्ष्मण गमेती पुत्री श्री गणेश लाल गमेती का स्वर्गवास दिनांक 09.11.2023 को होने से उनके द्वारा की गई अपंजीकृत वसीयत दिनांक 05.01.2022 के आधार पर श्रीमती जसवन्ती के हिस्से का नामान्तरण चाहा गया।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र/लीजडीड जारी की जा सकेगा। **रणजीत सिंह विठू, तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर**

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

सं. 5487 **लोक-सूचना** दिनांक: 8/10/2025

श्री रविन्द्र कुमार सनाढ्य पिता श्री मुरलीधर सनाढ्य निवासी सनसिटी कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्दइस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	गुडली	607/284	रकबा 0.1693 हैक्टैयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 8/10/25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द

कार्यालय नगर परिषद् सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:-न.प.स./तामीर/2025-26/1540 दिनांक : 8/10/2025

-:उजरदारी सूचना:-

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत)

सर्व साधारण एवं आम-खास को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा आवासीय भुखण्ड पर ऑनलाईन तामीर स्वीकृति चाही गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम आवेदनकर्ता	भुखण्ड के पडौस
01	श्रीमति नफीसा पत्नी श्री होजेफा बोहरा निवासी बोहरवाडी सलूम्बर भूखण्ड का स्थान:-राजस्व ग्राम सलूम्बर	पूर्व-भूखण्ड संख्या 44 पश्चिम-भूखण्ड संख्या 46 उत्तर-आम रास्ता 30 फिट दक्षिण-कृषि भूमि आराजी नं.919

अत: उक्त व्यक्तियों के नाम आवेदन अनुसार नगर परिषद् द्वारा ऑनलाईन तामीर स्वीकृती की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति/उजरदारी हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की उजरदारी/आपत्ती मान्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगरपरिषद् सलूम्बर

कार्यालय नगर परिषद् सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:-न.प.स./तामीर/2025-26/1513 दिनांक : 03/10/2025

-:उजरदारी सूचना:-

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत)

सर्व साधारण एवं आम-खास को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा आवासीय भुखण्ड पर ऑनलाईन तामीर स्वीकृति चाही गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम आवेदनकर्ता	भुखण्ड के पडौस
01	श्री हाफीजू रहमान पिता मुजीब रहमान निवासी पाटनपुरा सलूम्बर भूखण्ड का स्थान:-पाटनपुरा सलूम्बर	पूर्व-श्री अमृत लाल जी पटेल का मकान पश्चिम-11 फिट चौडा रास्ता उत्तर-श्री हबीबुर रहमान का मकान दक्षिण-श्री सगीर रहमान का मकान

अत: उक्त व्यक्तियों के नाम आवेदन अनुसार नगर परिषद् द्वारा ऑनलाईन तामीर स्वीकृती की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति/उजरदारी हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की उजरदारी/आपत्ती मान्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगरपरिषद् सलूम्बर

कार्यालय नगर परिषद् सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

क्रमांक:-न.प.स./तामीर/2025-26/1539 दिनांक : 08/10/2025

-:उजरदारी सूचना:-

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के तहत)

सर्व साधारण एवं आम-खास को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदको द्वारा आवासीय भुखण्ड पर ऑनलाईन तामीर स्वीकृति चाही गई है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम आवेदनकर्ता	भुखण्ड के पडौस
01	श्रीमती ममता लौहार पत्नि श्री हंसमुख लौहार निवासी बस स्टेण्ड बाई पास रोड सलूम्बर भूखण्ड का स्थान:-राजस्व ग्राम करगेटा सलूम्बर	पूर्व-श्री मांगीलाल जी गर्ग का मकान पश्चिम-श्रीमति मोनिका देवी पत्नि रामेश्वर लौहार उत्तर-कॉलोनी का भूखण्ड संख्या 03 व 04 दक्षिण-डाल से करगेटा मुख्य मार्ग

अत: उक्त व्यक्तियों के नाम आवेदन अनुसार नगर परिषद् द्वारा ऑनलाईन तामीर स्वीकृती की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की कोई भी आपत्ति/उजरदारी हो तो प्रकाशन तिथि से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करें। बाद मियाद किसी भी प्रकार की उजरदारी/आपत्ती मान्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगरपरिषद् सलूम्बर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F-12 ( ) Sales/Allot/2025-26/1135 **आम-सूचना** दिनांक : 8/10/2025

आवेदनकर्ता द्वारा अंकित भूखण्ड का वारिसान/हक त्याग/मुक्ति विलेख/परित्याग पत्र/विक्रय-पत्र/ वसियत नामा/दान-पत्र के आधार पर नामान्तरण जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	योजना का नाम/ब्लॉक	आवेदक का नाम/ पिता का नाम	विवरण
1	आवासीय भूखण्ड संख्या 176 UDA/FY 25-26/ MUT/4844	1936.80 Square Feet	SOUTH EXTENSION SCHEME BLOCK-C	श्रीमती बिन्दु सालवी पुत्री स्व.श्री मदन लाल सालवी	श्री मदनलाल सालवी का स्वर्गवास दिनांक 27.08.2012 को हो जाने से इनके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, इनके वारिसों द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र, संबधित दस्तावेज, शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर अपने नाम नामान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान/हक त्याग पत्र/दान -पत्र/विक्रय-पत्र/वसियत के आधार पर नामान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारो सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण जारी किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(शैलेश खैरवा RAS), प्रभारी अधिकारी, बिक्री शाखा
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

जायरा व छानी में नवनिर्मित विद्यालय भवन का उद्घाटन

उदयपुर, (कासं)। राज्य के स्कूली शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को नायगांव उपखंड क्षेत्र के जायरा गांव में आईआईएफएल फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जायरा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।

शिक्षा मंत्री दिलावर ने ग्रामीणों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की गई, जबकि वर्तमान सरकार में सर्वाधिक विकास कार्य जनजाति अंचल में किया जा रहा है। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को विद्यालयों में पौष्टिक भोजन, निशुल्क ड्रेस, निशुल्क पुस्तकें वितरण की जा रही है। गत वर्ष राज्य में 10 लाख तीस हजार साइकिल छात्राओं को प्रदान की गई है। प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी भी दी जा रही है। छात्रों को राज्य सरकार ने 86 हजार टेबलेट प्रदान किए हैं। मंत्री दिलावर ने कहा कि आईआईएफएल फाउंडेशन का कार्य अत्यंत प्रेरणादाई एवं सराहनीय है। इस संगठन ने उदयपुर जिले को गोद लिया है। इन्होंने पिछले 10 साल में राजस्थान में 1200 सामुदायिक शिक्षण केंद्र का निर्माण किया जिसमें 26 हजार छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। संगठन की ओर से राजस्थान सरकार के किए गए करार में 102 बालिका विद्यालयों को समग्र शिक्षा के लिए गोद लिया गया है, जहां छात्रों को सभी आधुनिक शिक्षण सामग्री, उपकरण, संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वह उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर केंद्र व राज्य सेवाओं में जा सके।

मंत्री दिलावर ने जनजाति क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि धर्मांतरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण लोभ, झांसा देकर करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। धर्मांतरण द्वारा देश को तोड़ने की साजिश से चलाई जा रही है तथा यह उच्च स्तरीय षड्यंत्र है। इस कार्य के माध्यम से जनजाति क्षेत्र सहित देश भर में अराजकता एवं देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। मंत्री दिलावर ने कहा कि नया गांव उपखंड में राज्य सरकार द्वारा ढाई सौ करोड़ की लागत से दो आवासीय विद्यालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर दिलावर ने कहा कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जायरा में छात्र संख्या 120 होने पर इस विद्यालय को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। समारोह में मंत्री दिलावर ने विद्यालय निर्माण के लिए भूमि दान करने वाले सात परिवारों को सम्मानित भी किया। समारोह के पश्चात शिक्षा मंत्री दिलावर ने छानी ग्राम में आईआईएफएल के सहयोग से 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय बालिका उमावि के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जायरा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व अन्य।

दो गिरफ्तार : उदयपुर में डीएसटी एवं अम्बामाता थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध गांजा व चाकू बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द, जिला-राजसमन्द

क्रमांक:न.प.रा/भू.उ.परि./2025/5469 दिनांक : 8/10/2025

-:आपत्ती सूचना पत्र:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दिनेशचन्द्र पिता श्री शान्तिलाल हींगड़ निवासी मोही तहसील व जिला राजसमन्द हाल निवासी सी. 802, श्री वासुदेव काम्पलेक्स मामलेदारवाडी गली नं, 02 महावीर क्लिनिक के पास मलाड वेस्ट डेली मुम्बई महाराष्ट्र द्वारा राजस्व ग्राम किशोरनगर आराजी संख्या 984 मी. 985 मी. 986/1,986/3,988/1 988/3,989,992,993 रकबा 09-17-00 बीघा में से 737.27 वर्गगज यानि 6635.40 वर्गफीट का कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 122/2002-03 पट्टा संख्या 889 दिनांक 21.10.2003 को भूखण्ड सं. 13 143.33 वर्गगज का वाणिज्यिक,एवं क्षेत्रफल 593.33 वर्गगज का आवासीय जारी किया गया में प्राथी द्वारा पट्टा सं. 889 भूखण्ड क्षेत्रफल 496.78 वर्गमीटर का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भू-उपयोग परिवर्तन करने में कोई आपत्ती हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित में मय/ दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त, नगरपरिषद राजसमन्द

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर, वृत्त-उदयपुर
(RHB Office Building पारस तिराहा सेक्टर-11, उदयपुर-313001)
Email-DHCUDPR.RHB@RAJASTHAN.GOV.IN

पत्र क्रमांक:-उप. आ. आ./वृत्त-उदय/2024-25/89 दिनांक :-2.5.2025
Registered

-: जाहिर आम सूचना (दौहरा रजिस्ट्री नामान्तरण):-

आवास संख्या A-232 आयवर्ग EWS माप 36.00 वर्ग मीटर योजना दक्षिण विस्तार आवासीय योजना-बलिचा शहर उदयपुर द्वारा श्रीमती भगवती शर्मा पत्नी श्री कृष्णकान्त शर्मा को नीलामी दिनांक 17.02.2016 के तहत आवंटन पत्रांक 1700 दिनांक 16.03.2016 को आवास का आवंटन कर दिनांक 02.06.2016 को कब्जा दिया गया था। इस आवास का अदेय प्रमाण-पत्र 817 दिनांक 11.01.2021 द्वारा श्रीमती भगवती शर्मा पत्नी श्री कृष्णकान्त शर्मा को जारी किया गया एवं प्रथम रजिस्ट्री दिनांक 02.03.2021 को श्रीमती भगवती शर्मा पत्नी श्री कृष्णकान्त शर्मा द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करवाई गई। पंजीयन उपरान्त श्रीमती भगवती शर्मा पत्नीश्री कृष्णकान्त शर्मा ने उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 10.11.2022 को श्रीमती मधु कुमावत पत्नी श्री राजेश कुमावत के पक्ष में किया गया। श्रीमती मधु कुमावत पत्नी श्री राजेश कुमावत को कार्यालय द्वारा पत्रांक 353 दिनांक 25.05.2023 को नाम हस्तान्तरण कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् श्रीमती मधु कुमावत पत्नी श्री राजेश कुमावत ने पुन: उक्त आवास का बैचान विक्रय-पत्र (पंजीकृत) दिनांक 18.07.2024 द्वारा श्री ईश्वर नाथ पुत्र श्री लालजी नाथ को किया गया। श्री ईश्वर नाथ पुत्र श्री लालजी नाथ ने इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास को विक्रय पत्र (पंजीकृत) के आधार पर अपने नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री ईश्वर नाथ पुत्र श्री लालजी नाथ ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र मण्डल के निर्धारित प्रपत्रो में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावें।

अत: इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10,दिवस के अन्द-अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या A-232, दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण श्री ईश्वर नाथ पुत्र श्री लालजी नाथ के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-उदयपुर

ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस व सेमिनार 12-13 अक्टूबर को

ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल सेमिनार को कुलपति प्रो.सारंगदेवोत की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।

उदयपुर, (कासं)। भारतीय लेखांकन परिषद उदयपुर शाखा एवं राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 12 - 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस एंड इंटरनेशनल सेमिनार को लेकर बुधवार को कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत की अध्यक्षता में कुलपति सचिवालय के सभागार में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया।

प्रो. सारंगदेवोत ने बताया कि डीम्ड विश्वविद्यालय की ओर से पहली आयोजित इस सेमीनार का शुभारंभ रविवार को प्रात: 10.30 बजे विद्यापीठ के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर डबोक के सभागार में मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, विशिष्ट अतिथि राजस्थान सरकार में लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास व बाल अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघवार करेंगी। मुख्य वक्ता प्रो. गौरव वल्लभ होंगे। अध्यक्षता गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाडा के कुलपति प्रो. के.एस. ठाकुर करेंगे।

देश-विदेश के 900 से अधिक लेखांकन शिक्षाविद् जुटेंगे : प्रो. सारंगदेवोत

प्रो. सारंगदेवोत ने बताया कि दो दिवसीय सेमीनार में देश विदेश के 900 से अधिक लेखांकन शिक्षाविद् भाग लेंगे। आने वाले प्रतिभागी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके लिए विभिन्न कमेटियों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। शहर की विभिन्न होटलों में आवास की व्यवस्था की गई है।

प्रतिवर्ष भारतीय लेखांकन परिषद के अंतर्गत इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित करने का अवसर मिला है।आयोजन सचिव एवं भारतीय लेखांकन परिषद् के सचिव प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत ने बताया प्रतिदिन पांच तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जायेगा जिसमें पत्रों का वाचन किया जायेगा। कॉफ्रेंस में आर्टिफिसियल इंटीलिजेंस इन एकाउंटिंग, अर्निंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन आदि विषयों पर देश-विदेश के सैकडों शिक्षाविद चर्चा करने हेतु जुटेंगे।

बैठक में परीक्षा नियंत्रक डॉ. पारस जैन, डॉ. शिल्पा लोढ़ा, डॉ. अभय कुमार जारोली, प्रो. आईजे माथुर, डॉ. युवराज सिंह राठौड़, डॉ. बलिदान जैन, डॉ. अमी राठौड, डॉ. सुनिता मुर्डिया, डॉ. रचना राठौड, डॉ. अजिता रानी, डॉ. नवीन विश्नोई, डॉ. नवल सिंह राजपुत, डॉ. शाहिद कुरैशी, डॉ. दिनेश श्रीमाली, डॉ. प्रदीप शक्तावत, डॉ. पंकज रावल, कृष्णकांत कुमावत, डॉ. ललित श्रीमाली, डॉ. नरदेव सिंह, डॉ. मधु मुर्डिया, डा. शीतल चुग, डॉ. हिम्मत सिंह चुण्डावत, डॉ. जयसिंह जोधा, डॉ. रोहित कुमावत, डॉ. हरीश मेनारिया, डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. पंकज, डॉ. नारायण सिंह राव, डॉ. मानसिंह सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11( )Regin-III/2025/6758 **आम-सूचना** Date: 07/10/25

निम्नानुसार आवेदक द्वारा सारणी में वर्णित राजस्व ग्राम एवं खसरा नम्बर की भूमि का आवंटन/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	आवेदक का नाम /पिता का नाम
1	मादडी पानेरियान	130, 132 से 139, 142 से 146	03	2230.00	श्री विमल मेनारिया पिता श्री तुलसीराम

अत: उपरोक्तानुसार आवेदित भूखण्डो का आवंटन/ लीजड़ीड आवेदक के नाम करने के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति/ऐतराज होतो इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मियाद गुजरने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित एनएसएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, एनएसटीएफडीसी, एनडीएफसी एवं एनबीसीएफडीसी योजना में ऋण प्राप्त आशार्थियों को बकाया ऋण चुकाने में राहत हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 की घोषणा की है। अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि उक्त योजना में पूर्व वर्षों में वितरित किये गये ऋणियों में बकाया चल रही ऋण वसूली राशि में 30 सितम्बर तक साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की थी, जिसे बढाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है।

(प्रपत्र संख्या-7) (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर (राज.)
नोटिस

पत्रावली संख्या:-158/2025/3681
दिनांक-01/10/25

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस सम्बन्धित व्यक्तियो को

चूंकि श्री नेत्रपाल सिंह यादव, अध्यक्ष ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा -17 (2) के अन्तर्गत सेवा भारती समिति, हरिदास जी की मगरी, सुभाष चौराहा, मल्लाहतलाई, उदयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिया है।

अत: एव धारा 18 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपयुक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम,व्यापक जानकारी के लिये यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे , इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60(साठ) दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 1/10/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आगामी पेशी तारीख 4/12/25 की रखी गयी है।

मुहर (जतीन कुमार गाँधी) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11( )/Regin-II/2025/1261 दिनांक : 27-9-2025

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम आयड़ के खसरा नम्बर 119मी., 119/2628, 120 / 2630, 121 के अनुमोदित योजना प्लान में स्थित भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 1625 वर्गफीट के नियमन हेतु श्री गोपीलाल पिता स्व. श्री मेघराज प्रजापत, निवासी शनि महाराज मन्दिर के पास, गोगुन्दा, उदयपुर (राज.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं।

उक्त भूखण्ड श्री मेघराज कुम्हार (प्रजापत) पिता श्री खुमा जी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 05/07/1989 को श्रीमती पुष्पा देवी दलाल पत्नी श्री बसन्तीलाल जी दलाल एवं श्री अशोक दलाल पिता श्री बसन्ती लाल जी दलाल से कय किया गया तत्पश्चात् श्री मेघराज कुम्हार (प्रजापत) पिता श्री खुमा जी की मृत्यु दिनांक 02/10/2008 एवं श्रीमती वरदी बाई पत्नी स्व. श्री मेघराज जी कुम्हार (प्रजापत) की मृत्यु दिनांक 22/07/2021 को हो जाने से इनके वारिसान श्री गोपीलाल पिता स्व. श्री मेघराज प्रजापत द्वारा शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर एक मात्र विधिक वारिस होना बताकर अपने नाम से लीजडीड जारी किये जाने का निवेदन किया गया है।

अत: वर्णित भूखण्ड का पट्टा-विलेख आवेदक श्री गोपीलाल पिता स्व. श्री मेघराज प्रजापत, निवासी शनि महाराज मन्दिर के पास, गोगुन्दा, उदयपुर (राज.) के पक्ष में किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/फर्म इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें, अन्यथा इस अवधि उपरान्त पट्टा विलेख आवेदक के पक्ष में जारी किया जावेगा।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार) उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

ठंडी हवाओं का दौर शुरू

उदयपुर, (कासं)। लेकसिटी में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह और शाम को चलने वाली ठंडी हवाएं अब शहरवासियों को हल्की सर्दी का एहसास करा रही है। खासकर फतहसागर और पीछोला जैसी झीलों और हरे भरे इलाकों के आसपास सर्दी का प्रभाव ज्यादा महसूस हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। बुधवार सुबह धूप निकली, लेकिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हल्की ठंडक बनी रही। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया कि 12 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। इस दौरान दिन और रात के तापमान में थोडी बढोतरी हो सकती है। करीब तीन दिन पहले उदयपुर में हुई बारिश के बाद से ठंडी हवाओं का दौर शुरू हुआ था जिससे मौसम को और ठंडा कर दिया।

कार्यालय नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ जिला - चित्तौड़गढ़

क्रमांक:/तामीर/25-26/182-183 दिनांक :- 03.10.2025

उजरदारी सूचना 04

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड हस्तान्तरण चाहा है। इस बाबत् इनके मालिकाना हक, न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन/स्थगन, स्वामित्व आदि सम्बंधी अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उजरदारी प्रकाशन के 07 दिवस में अपनी आपत्ति मय रेकार्ड के अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति कबिले समायत नही होगी और भूखण्ड हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। विवरण इस प्रकार है :-

क्र. स.	भूखण्ड विक्रेता/वसीयत/कर्त्ता/बक्षीशकर्ता	भूखण्ड जिसके नाम हस्तान्तरण किया जाना है।	भूखण्ड [illegible] साईज व पता
1.	मूल पट्टा धारक- श्रीमती अमरती बाई पत्नि श्री औंकार लाल शर्मा अन्तिम विक्रेता :- श्री दुर्गा शंकर शर्मा पिता श्री औंकार जी शर्मा	श्रीमती सुनिता कुमारी पत्नि श्री विनोद धाकड निवासी - उगमणा दरवाजा कनेरा तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 1 [illegible] 2273.63 वर्गफीट ऋषभ नगर के पास चित्तौड़गढ़
2.	मूल पट्टा धारक- श्रीमती सरजुदेवी पत्नि श्री बालचन्द जैन एवं श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री राधाकृष्ण इटोदिया अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती सरजुदेवी पत्नि श्री बालचन्द जैन	श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री बाबु लाल जी निवासी - कच्ची बस्ती गांधीनगर चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 19 में से क्षेत्रफल 1100 वर्गफीट स्वास्तिक नगर चित्तौड़गढ़
3	मूल पट्टा धारक- श्रीमती धनी बाई पत्नि श्री देवीलाल मीणा अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती अनिता खटवानी पत्नि श्री अशोक जी खटवानी	श्री सुनील मलानी पिता श्री धनराज जी मलवानी निवासी कुम्भानगर चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 53 क्षेत्रफल 1450 वर्गफीट सेठ सांवरिया नगर आवासीय योजना मीठाराम जी का खेड़ा चित्तौड़गढ़
4	मूल पट्टा धारक- श्री जयवन्त कुमार पिता श्री सोहनलाल चण्डालिया वगैरा अन्तिम विक्रेता :- श्री राजु कुमावत पिता श्री गजानंद जी कुमावत	श्रीमती सुमन कुमारी धाकड़ पत्नि श्री कमलेश धाकड़ निवासी रामनगर उर्फ तारापीपली तह. बेंगू जिला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 22 क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट द्वारिका नगर चित्तौड़गढ़
5	मूल पट्टा धारक- श्री विजय सिंह,अजय सिंह पिता श्री शम्भुसिंह राठौड अन्तिम विक्रेता :- श्री प्रतापसिंह खंगारोत पिता श्री जोरावरसिंह जी खंगारोत	श्रीमती जागृति कंवर पत्नि श्री महेन्द्रसिंह जी राणावत निवासी सेंती चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 42 क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट महेशपुरम आवासीय योजना चित्तौड़गढ़
6	मूल पट्टा धारक- श्रीमती पारस देवी पत्नि श्री श्याम लाल हरिजन अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती मरियम बानो पुत्री श्री मुराद खान	श्रीमती अकीला बानो पत्नि श्री इमरान खान निवासी जूना बाजार सिपाही मोहल्ला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 112 क्षैत्रफल 973.87 वर्गफीट गांधीनगर विस्तार योजना के पास चित्तौड़गढ़
7	मूल पट्टा धारक- श्री बसंन्त कुमार पिता श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती संगीता जैन पत्नि श्री विनोद कुमार जी जैन एवं श्रीमती रेखा पत्नि श्री गोपाल जी अग्रवाल	श्रीमती समता बसेर पत्नि श्री प्रदीप बसेर निवासी भगवती होटल के पिछे चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 4 क्षैत्रफल 1800 वर्गफीट अग्रसेन नगर चित्तौड़गढ़
8	मूल पट्टा धारक- श्री सुल्तान शेख,समीर शेख पिता श्री फेयाज खान अन्तिम विक्रेता :- श्री हिफ्जुर रहमान दायमा पिता श्री अब्दुल अजीज दायमा एवं श्री सुल्तान शेख/फैयाज खान	श्री हयाद हुसैन पिता श्री अब्दुल हमीद शाह निवासी कच्ची बस्ती बस्ती गांधीनगर चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 486 क्षैत्रफल 704.43 वर्गफीट गांधीनगर सें.नं. 5 चित्तौड़गढ़
9	मूल पट्टा धारक- श्री उदयलाल पिता श्री भगवान धाकड़ अन्तिम विक्रेता :- श्री शिवराजसिंह भाटी,युवराजसिंह पिता श्री गोवर्धनसिंह	श्रीमती इन्दिरा कंवर चौहान पत्नि श्री किशोर सिंह जी शक्तावत निवासी घटियावली चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 5 क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट लक्ष्मीनगर सेंती चित्तौड़गढ़
10	मूल पट्टा धारक- श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री मांगीलाल धोबी एवं श्रीमती लालीबाई पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार धोबी अन्तिम विक्रेता :- श्री तेजपाल पिता श्री अर्जुन सिंह राजपूत	श्री ओमप्रकाश सेन पिता श्री नन्दराम सेन निवासी डेकडीखेड़ा तह. बेगू जिला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 18 क्षैत्रफल 1125 वर्गफीट ग्राम चन्देरिया रामदेवजी का चन्देरिया चित्तौड़गढ़
11	मूल पट्टा धारक- श्री लादु लाल पिता श्री मोहन लाल डांगी रिलीज डीड परित्याग :- श्रीमती प्रेम देवी,ज्योति बाला पवन कुमार कोठारी/लादुलाल जैन (डांगी)	श्री नवरत्न जैन,प्रकाशचन्द जैन, अनिल कुमार जैन/लादुलाल जैन निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 228 क्षैत्रफल 3471 वर्गफीट गांधीनगर सें. नं. 1 चित्तौड़गढ़
12	मूल पट्टा धारक- श्री भैरू लाल पिता श्री मांगू लाल जी अन्तिम विक्रेता :- श्री राकेश सिकलीगर पिता श्री चुन्नी लाल सिकलीगर	श्री शिवराज सोनी पिता श्री बंशी लाल सोनी निवासी बोहरा मंजिद के पास चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 27 का भाग क्षैत्रफल 808 वर्गफीट ओछडी चित्तौड़गढ़
13	मूल पट्टा धारक- श्रीमती मंजु देवी पत्नि श्री मनोहर लाल डांगी एवं श्रीमती गरिमा देवी पत्नि श्री संजय कुमार सिन्धी अन्तिम विक्रेता :- श्री राजेश मुरोटिया पिता श्री राधेश्याम मुरोटिया	श्रीमती मंजू बसेर पत्नि श्री रामगोपाल बसेर निवासी कपडा बाजार चम्पा गली चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 11 क्षैत्रफल 2010 वर्गफीट अयोध्यापुरी योजना चित्तौड़गढ़
14	मूल पट्टा धारक- श्रीमती रूकमा देवी पत्नि श्री भंवरलाल गुर्जर अन्तिम विक्रेता :- श्री रतनलाल रायका पिता श्री बगता जी रायका	श्री रोशनलाल जाट पिता श्री तुलसीराम जाट निवासी आरणी तह. राशमी जिला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 178 क्षैत्रफल 1225 वर्गफीट तिरूपति नगर सेंती चित्तौड़गढ़
15	मूल पट्टा धारक- श्री रतन लाल पिता श्री सोराम गुर्जर एवं श्रीमती नाराणी बाई पत्नि श्री सोराम गुर्जर अन्तिम विक्रेता :- श्री आशीष कुदाल पुत्र श्री मनोहरलाल कुदाल	श्री आदित्येन्द्र सेठिया पुत्र श्री विजय कुमार सेठिया निवासी चूंगी नाका के पास सेंती चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 175 क्षैत्रफल 1437.50 वर्गफीट महेशपुरम के पास रूपनगर एक्सटेंशन द्वितीय चित्तौड़गढ़
16	मूल पट्टा धारक- श्री रतन लाल पिता श्री सोराम गुर्जर एवं श्रीमती नाराणी बाई पत्नि श्री सोराम गुर्जर अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती लीना कुदाल पत्नि श्री आशीष कुदाल	श्री आदित्येन्द्र सेठिया पुत्र श्री विजय कुमार सेठिया निवासी चूंगी नाका के पास सेंती चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 174 क्षैत्रफल 1412.50 वर्गफीट महेशपुरम के पास रूपनगर एक्सटेंशन द्वितीय चित्तौड़गढ़
17	मूल पट्टा धारक- शुभ विनायक बिजनेश (इण्डिया का.लि.जरिये.निदेशक श्रीमती अंजना माहेश्वरी पत्नि श्री अशोक माहेश्वरी रिलीज डीड (हक परित्याग पत्र) :- श्री लोकेश सोडानी पिता श्री सुरेश चन्द्र सोडानी एवं श्रीमती दीपा कोठरी/ श्री सुरेश चन्द्र जी सोडानी	श्रीमती सुमित्रा सोडानी पत्नि श्री सुरेशचन्द्र सोडानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	भूखण्ड संख्या 49 क्षैत्रफल 1825 वर्गफीट नवरत्न नगर नरपत की खेडी चित्तौड़गढ़
18	मूल पट्टा धारक- शुभ विनायक बिजनेश (इण्डिया का.लि.जरिये.निदेशक श्रीमती अंजना माहेश्वरी पत्नि श्री अशोक माहेश्वरी रिलीज डीड (हक परित्याग पत्र) :- श्री लोकेश सोडानी पिता श्री सुरेश चन्द्र सोडानी एवं श्रीमती दीपा कोठरी/श्री सुरेश चन्द्र जी सोडानी	श्रीमती सुमित्रा सोडानी पत्नि श्री सुरेशचन्द्र सोडानी निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा	भूखण्ड संख्या 39 क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट नवरत्न विहार भोईखेडा चित्तौड़गढ़
19	मूल पट्टा धारक- श्री किशनलाल पिता श्री मांगीलाल कुमावत अन्तिम विक्रेता :- श्री दीपक जेथलिया पिता श्री बालकिशन जी जेथलिया	श्री पंकज पुंगलिया पिता श्री बंसती लाल पुंगलिया निवासी सदर बाजार पुठेली तह. गंगरार चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 60 क्षैत्रफल 2700 वर्गफीट गांधीनगर से.नं. 5 के पीछे चित्तौड़गढ़
20	मूल पट्टा धारक- श्रीमती रानी शर्मा पत्नि श्री गोपीलाल शर्मा अन्तिम विक्रेता :- श्री मृत्युन्जन उपाध्याय पिता श्री जगदीश चन्द्र उपाध्याय	श्री जुबेर खान मंसुरी पिता श्री हकीमुद्दीन मंसुरी निवासी विस्तार विकास नगर नीमच जिला निमच (म.प्र.)	भूखण्ड संख्या 71 क्षैत्रफल 1800 वर्गफीट महर्षि दधीचि नगर ए चित्तौड़गढ़
21	मूल पट्टा धारक- श्रीमती अमरती देवी/औंकार लाल अन्तिम विक्रेता :- श्री दुर्गा शंकर/औंकार लाल	श्रीमती ललिता धाकड/भैरूलाल धाकड पत्नि श्री शंकरलाल निवासी सेंती चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 3 क्षैत्रफल 2175 वर्गफीट ऋषभनगर के पास सेंती चित्तौड़गढ़
22	मूल पट्टा धारक- श्रीमती अमरती देवी/औंकार लाल अन्तिम विक्रेता :- श्री दुर्गा शंकर/औंकार लाल	श्री विनोद धाकड़ पिता श्री सुगनलाल धाकड़ निवासी गोपाल तह. बिजोलिया	भूखण्ड संख्या 2 क्षैत्रफल 2145 वर्गफीट ऋषभनगर के पास सेंती चित्तौड़गढ़
23	मूल पट्टा धारक- श्री नारायण पिता श्री मगना अन्तिम विक्रेता :- श्रीमती निर्मला/ श्री द्वारकालाल	श्री कृष्णा कुमारी धाकड़/उदयलाल निवासी सेंती चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 77 क्षैत्रफल 1650 वर्गफीट कमला नगर योजना सेंती चित्तौड़गढ़
24	मूल पट्टा धारक- श्रीमती धनी बाई पत्नि श्री देवीलाल मीणा अन्तिम विक्रेता :- श्री संजय ग्वालानी पिता श्री मनोहरलाल ग्वालानी (सिंधी)	श्रीमती मोहनी देवी पत्नि श्री राजाराम बालोटिया निवासी आजाद मोहल्ला गंगरार तह. गंगरार जिला चित्तौड़गढ़	भूखण्ड संख्या 78 क्षैत्रफल 1250 वर्गफीट सेठ सांवरिया नगर चित्तौड़गढ़

Raj.samwad/C/25/11617 आयुक्त